(70)

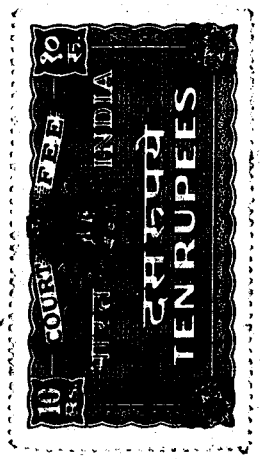

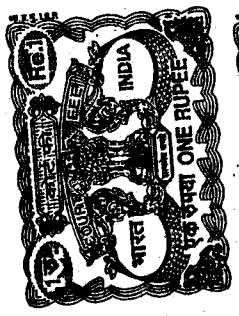

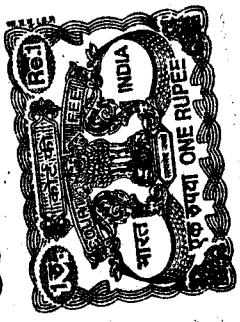

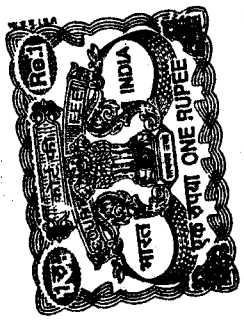

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक /निगरानी/2016 भिण्ड निग - 649 - I - 16

उदयवीर सिंह पवैया पुत्र श्री पानसिंह
पवैया, निवासी-ग्राम छैकुंरी,
तहसील-गोहद, जिला-भिण्ड

..... निगरानीकर्ता

बनाम

तहसीलदार द्वारा म.प्र. शासन

..... अनावेदक

श्री कुंवरसिंह कुशवाह, कौंसि
द्वारा आज दि. 23-2-16 को
प्रस्तुत
23.2.16
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

निगरानी आवेदनपत्र धारा 50 म0प्र0 भू राजस्व संहिता 1959 के अन्तर्गत प्रस्तुत विरूद्ध आदेश नायब तहसीलदार वृत अमायन मेहगांव भिण्ड के प्र. क्र. 07/अ-6अ/अपील/2014-15 के समस्त आदेशों पत्रिकाओं के खिलाफ एवं गलत प्रक्रिया के खिलाफ।

कुंवरसिंह कुशवाह (एडवोकेट)
23/2/16

श्रीमान् जी,

निगरानी के आधार निम्न प्रकार पेश है :-

निगरानी के आधार -

1. यह कि, अधीनस्थ न्यायालय ने विधि विधान एवं क्षेत्राधिकार बाहय कार्यवाही जारी रखे है जो निरस्त किये जाने योग्य है।

2. यह कि, अधीनस्थ न्यायालय ने जानबूझकर प्रक्रिया को लम्बी चलाना चाहते हैं जबकि निगरानीकर्ता को राजस्व रिकार्ड में नाम दर्ज

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण कमांक निगरानी 649–एक/16 जिला–भिण्ड

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
05–06–17	आवेदक के अधिवक्ता श्री कुंवर सिंह कुशवाह उपस्थित । उनके द्वारा यह निगरानी नायब तहसीलदार वृत्त अमायन तहसील मेंहगांव जिला भिण्ड का प्रकरण कमांक 07/अ–6/अपील/2014–15 में पारित अंतिरिम आदेश पत्रिकाओं के विरूद्व म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अन्तर्गत यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है। 2– आवेदक अधिवक्ता का तर्क है कि आवेदक का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है तथा कंम्प्यूटर में भी दर्ज था लेकिन तत्कालिक तहसीलदार ने वयक्तिगत वैमनस्यता होने के कारण कम्प्यूटर से पृविष्ट विलोपित करा दी गई तथा उसी को दुरस्त करने हेतु तहसीलदार न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत किया लेकिन उनके द्वारा समय सीमा में कार्य न करते हुये टाल मटोल किया जा रहा है। आवेदक अधिवक्ता का तर्क है कि बन्दोवस्त राजस्व रिकर्ड में आवेदक का नाम है। अंत में उनके द्वारा निवेदन किया गया है कि आवेदक की पृविष्ट कम्प्यूटर में अंकित कराई जावे। जिससे आवेदक को	

न्याय दान मिल सके।

3– मेरे द्वारा आवेदक के अधिवक्ता के तर्को पर विचार किया गया तथा प्रकरण में संलग्न दस्तावेजों का अध्ययन किया गया जिससे यह स्पष्ट होता है कि नायब तहसीलदार अमायन के प्रकरण कमांक 7/अ–6 अ/14–15 की प्रथम आदेश पत्रिका 11.5.15 में राजस्व निरीक्षक वृत्त अमायन से मौजा सिरसी स्थित आराजी कमांक 576 रकवा 5.41 है0 में से 5.00 है0 उदयवीर सिंह पुत्र पानसिंह निवासी छैकुरी के नाम पटट्ा स्वीकृत किया गया है । राजस्व निरीक्षक द्वारा आवेदन में कहा गया है कि बिना किसी सक्षम अधिकारी के गलत तरीके से पटट्ा स्वीकृत किया गया है। लेकिन प्रकरण के पृष्ठ कमांक –3 पर संलग्न खसरा में उदयवीर पुत्र पानसिंह का नाम अंकित है एवं प्रकरण में संलग्न प्रकरण कमांक 5/88–89/अ–19 में आदेश दिनांक 28.12.89 की छाया प्रति में आवेदक के नाम भूमि स्वामी स्वतव के अधिकार प्रदान किये गये हैं, तथा अधीनस्थ न्यायालय के प्रकरण में पृष्ठ कमांक 11 पर माननीय उच्च न्यायालय ग्वालियर का रिट0 पि0 कमांक 7960/15 आदेश दिनांक 27.11.15 द्वारा विवेचना कर कलेक्टर जिला भिण्ड द्वारा आदेश दिनांक 4.4.2015 का उचित माना है। अतः मान0 उंच्च न्यायालय के आदेश एवं कलेक्टर जिला

भिण्ड के आदेश दिनांक 4.4.2015 के परिप्रेक्ष्य में आवेदक के नाम की पृविष्ट कम्प्यूटर में दर्ज करें। प्रकरण का निराकरण किया जाता है। पक्षकार सूचित हों। अधीनस्थ न्यायालय को आदेश की प्रति भेजी जावे। राजस्व मण्डल का प्रकरण अभिलेखागार में संचय हेतु भेजा जावे।

(एस0 एस0 अली)
सदस्य